जनपद गाजियाबाद **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 22-08-20**

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में नशे के कारोबार करने वाले एक अभियुक्त को एक किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया -: थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 22-08-2020 को समय 09.30 बजे रेलवे लाईन बन्द फाटक नीम के पेड के पास से एक अभियुक्त दीवान पुत्र देवी साहब नि0 अमर विहार थाना लोनी बोर्डर जनपद गायिबाद मूल निवासी ग्राम शाहजहापुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद को एक किलो 100 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 739/20 धारा 8/20 NDPS.Act पंजीकृत किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

कडाई से पूछताछ करने पर अभि0 दीवान उपरोक्त द्वारा बताया कि साहब मैं गांजा की पुडिया बनाकर चलते –फिरते राहगीरों को बेच देता हूँ। जिससे मैं प्रतिदिन 1000-1500 रुपये कमा लेता हूँ।

नाम पता अभियुक्त -

1 दीवान पुत्र देवी साहब निअमर विहार थाना लोनी बोर्डर जनपद गायिबाद मूल निवासी ग्राम 0 शाहजहापुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद

अभियुक्त दीवान के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 739/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

बरामदगी का विवरण-

अभि0 दीवान के कब्जे से एक किलो 100 ग्राम गांजा नाजायज बरामद।

थाना लोनी क्षेत्र में चरस की तस्करी करने वाले दो अभियुक्त गण गिरफ्तार-: थाना लोनी पुलिस द्वारा दो अभि0गण को 200 ग्राम (100 ग्राम व 100 ग्राम) चरस के साथ केला गोदाम वाली गली लोनी तिराहा चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से दिनांक 21.08.2020 समय 18.15 बजे गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त गण ने बताया कि साहब हम यह चरस की पुड़िया बनाकर बेचते हैं। जिससे हम मुनाफा कमाकर अपना खर्चा चलाते हैं। अभी हम यह चरस लेकर बेचने जा रहा थे कि तभी आपने पकड लिया। अभियुक्त गण का यह जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट की हद को पहुंचता है।

अपराध कारित करने का तरीका (MODOUS OPERANDY):-

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त गण ने पूछने पर बताया कि हम थाना लोनी क्षेत्र में चरस की पुडिया बनाकर बेचते हैं। जिससे हमारा खर्च चल जाता है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभि0गण:-</u>

1- मौ0 नदीम पुत्र मौ0 अकबर मंसूरी नि0 खालापार कसाईयो वाली गली थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर हाल चाँद मस्जिद के पास यासीन दुकानदार वाली गली में इकरामनगर मुस्तफाबाद कस्बा थाना लोनी गाजियाबाद

2- गुल मौहम्मद उर्फ गुल्लू पुत्र मौ0 हनीफ सैफी नि0 केला गोदाम वाली गली डाबर तालाब कस्बा थाना लोनी गाजियाबाद

<u>अभियोगों का विवरण अभियुक्त मौ0 नदीम:-</u>

मु0अ0सं0-681/2020 धारा 8/20 NDPS Act थाना लोनी गा0बाद

<u>अभियोगों का विवरण अभियुक्त गुल मौहम्मद उर्फ गुल्लू:-</u>

मु0अ0सं0-682/2020 धारा 8/20 NDPS Act थाना लोनी गा0बाद

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

1. 100 ग्राम व 100 ग्राम (कुल 200 ग्राम) चरस बरामद

<u>थाना लोनी पुलिस द्वारा गौवध अधि0 मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-:</u> थाना लोनी पुलिस द्वारा गौवध अधि0 के मु0अ0सं0 142/2020 धारा 5क/8 गोवध अधि0 में दिनांक 23.02.2019 से वाँछित चल रहा अभियुक्त साबिर पुत्र अली मौ0 निवासी मदीना मस्जिद के पास 30 फुटा रोड अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद को उसके मसकन से दिनांक 22.08.2020 समय 09.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पिछले 06 माह से लगातार फरार चल रहा था।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभि0</u>-

साबिर पुत्र अली मौ0 निवासी मदीना मस्जिद के पास 30 फुटा रोड अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद

<u>आपराधिक विवरण:</u>-

मु0अ0सं0-142/2020 धारा 5क/8 गोवध अधि0 थाना लोनी गा0बाद

<u>01 शातिर अभियुक्त चोरी की मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार</u>-:श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन में चलाये गये वाहन चोरों के विरूद्ध अभियान के क्रम मे श्रीमन पुलिस अधीक्षक नगर श्री मनीष मिश्र के निर्देशन मे एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार सिह ***के कुशल नेतृत्व में*** दिनांक 22.08.2020 समय 00.25 बजे चैकिंग के दौरान इतवार पुस्ता चौकी क्षेत्र खोडा गाँव से 01 शातिर अभियुक्त को चोरी की मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण - पुलिस पार्टी द्वारा चैकिंग के दौरान 1 शातिर अभियुक्त चोरी की मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना खोडा पर मु0अ0सं0 482/20 धारा 411 भादवि पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल उपरोक्त को दिल्ली से चुराया था जिसके सम्बन्धि में मु0अ0स0 042167 E-Police Station MV theft दिल्ली में पंजीकृत है।

गिर0 अभियुक्त का नाम पता

1. हर्ष s/o महेश चन्द नि0 RC 632 आजाद विहार खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष मूल पता हुसैनपुर खेडा थाना कछला जनपद बदायुँ उ0प्र0

आपराधिक इतिहास

(1) मु0अ0स0 482/2020 धारा 411 भादवि थाना खोडा गाजियाबाद।
(2) मु0अ0स0 042167 E-Police Station MV theft दिल्ली।

बरामदगी – अभियुक्त के कब्जे से एक अदद चोरी की मो0साईकिल पलसर नं0 - DL7SBS 4699 बरामद

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा चोरी की स्कार्पियो व 01 अदद चाकू के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार -: थाना विजय नगर पुलिस को वाहन चोरो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 21/08/2020 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी कमर हसन पुत्र बदर हसन, नि. पुराना बाजार पीर वाली गली हापुड, हाल पता- बाल्मीकी चौके के सामने वाली गली थाना विजयनगर, गा.बाद,उम्र 46 वर्ष को थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से **मोतीनगर दिल्ली से चोरी स्कार्पियो रंग काला नं. HR 79B 8308 व एक अदद चाकू नाजायज** बरामद हुआ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

कमर हसन पुत्र बदर हसन, नि. पुराना बाजार पीर वाली गली हापुड, हाल पता- बाल्मीकी चौके के सामने वाली गली थाना विजयनगर, गा.बाद,उम्र 46 वर्ष

अपराध करने का तरीका

अभियुक्त कमर हसन पुत्र बदर हसन, नि. उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं अपने साथी अबरार की कैन्टर गाडी पर चालक हूँ, मैं व अबरार कैन्टर गाड़ी में ट्रांसपोर्ट से सामान भरकर अक्सर उतारने के लिए दिल्ली व आसपास के इलाको में ले जाते है तथा उतारते समय आसपास खडी महंगी लक्जरी गाडियों को चिन्हित कर अपने एक अन्य साथी आना जो मेरठ का रहने वाला है को बुलाकर रात के किसी समय गाडियों को चोरी कर लाकर छिपा देते है। अबरार पहले भी कई बार वाहन चोरी के अपराध में जेल जा चुका है। अबरार चोरी किये वाहन के पेपर ले जाकर पार्टी से सौदा कर लेता है।

फिर हम सब मिलकर चोरी किये वाहन को उस व्यक्ति के पास पहुंचा देते है। यह स्कार्पियो भी हम तीनों ने दिनांक 17.08.20 को मोतीनगर दिल्ली इलाके से चोरी कर बाल्मीकी पार्क के पास छिपा दिया था।

पुलिस द्वारा अनावरण

दिनांक 18.08.20 को थाना विजयनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कार्पियो कार जिसके आगे के दोनों शीशे टूटे हुए हैं, संदिग्ध हालत में बाल्मिकी पार्क विजयनगर पर खडी है। इस सूचना को गम्भीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा आधुनिक संसाधनों से जानकारी की तो संज्ञान में आया कि उक्त स्कार्पियो कार दिल्ली मोतीनगर थाना क्षेत्र से चोरी की गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना मोतीनगर दिल्ली पर ई.एफ.आई.आर. 19664/20 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखते हुए एक पुलिस टीम घटनास्थल के आसपास दिन रात लगाकर मुखबिर को भी अवगत कराकर कि उक्त गाडी के सम्बन्ध में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो तत्काल अवगत कराये। इसी आधार पर दिनांक 21.08.20 को समय 21.00 बजे के आसपास घटनास्थल पर लगाई गयी पुलिस पार्टी एवं मुखबिर ने सूचना दी कि तीन व्यक्ति उक्त चोरी की स्कार्पियो को ले जाने के प्रयास में है। इसी सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर वाहन चोरी की घटना का अनावरण किया गया। सह अभियुक्त अबरार एवं आना के आपराधिक इतिहास की जानकारी कर शीघ्र गिरफ्तारी की जायेगी। अभियुक्त अबरार व आना की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय पर एक टीम का गठन किया गया है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.सं. 1113/20 धारा 411,413,414 भादवि थाना विजयनगर गा.बाद बनाम कमर हसन, अबरार, आना

2- मु.अ.सं. 1114/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर, गा.बाद बनाम कमर हसन

3- मु.अ.सं. 19664/20 धारा 379,411 भादवि थाना मोतीनगर, दिल्ली बनाम कमर हसन आदि

बरामदगी का विवरण

1- एक अदद स्कार्पियो रंग काला HR 79B 8308 सम्बन्धित मु0अ0सं0 19664/20 धारा 379 भादवि थाना मोतीनगर, दिल्ली

2- एक अदद चाकू नाजायज अभियुक्त कमर हसन उपरोक्त के कब्जे से बरामद

थाना कविनगर पुलिस द्वारा ऑप्रेशन निहत्था के तहत 05 चोरो को अवैध हथियार व चोरी किये गये लोहे के साथ किया गिरफ्तार -: श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वाराअपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे आप्रेशन निहत्था के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक थाना कविनगर पुलिस के नेतृत्व में दिनांक 21/08/2020 को दौराने चैकिंग 05 नफर अभि0गण को मय अवैध हथियार 01 अदद तमंचा .315 बोर मय 01 कारतूस, 02 चाकू नाजायज व चोरी किया गया 200 किलो लोहे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की

अपराध कारित करने का तरीका:-

दि0 21.08.20 को थाना कविनगर के उ0नि0 श्री रानु चौधरी मय हमराह पुलिस बल के साथ दौराने चैकिंग अचानक पुलिस को सामने पाकर वापस भागने की कोशिस कर रहे आटो सवार व्यक्तियो को समय 23.55 बजे केन्द्रीय विद्धालय कमला नेहरू नगर के सामने से 05 नफर लोहा चोर को गिरफ्तार किया गया जो कविनगर मे बन्द पडी फैक्ट् मे से अपने अन्य साथी अमित उर्फ टोनी पुत्र बब्ली नि0 रहीसपुर थाना कविनगर गाबाद के साथ मिलकर लोहा चोरी कर लालकुंआ निवासी इरफान कबाडी को बेचते थे जिनके कब्जे अवैध हथियार 01 अदद तमंचा .315 बोर मय 01 कारतूस, 02 चाकू नाजायज व चोरी किया गया 200 किलो लोहे के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

(1) आसु पुत्र इस्लाम निवासी पीला क्वार्टर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद मूल पता सकौती टांडा थाना दौराला जिला मेरठ उम्र करीब 26 वर्ष

(2) अदनान पुत्र मेहरुद्दीन निवासी कैला भट्टा थाना कोतवाली गाजियाबाद मूल पता ग्राम बहरामपुर थाना सिवालखास जनपद मेरठ उम्र करीब 20 वर्ष

(3) सद्दाम पुत्र मेहरुद्दीन ग्राम बहरामपुर थाना सिवालखास जनपद मेरठ उम्र करीब 20 वर्ष

(4) राशिद पुत्र नसरुद्दीन निवासी ग्राम बहरामपुर थाना सिवालखास जनपद मेरठ उम्र करीब 35 वर्ष

(5) नईम पुत्र मेहराजुद्दीन निवासी सकौती टांडा थाना दौराला जिला मेरठ हाल हमदर्द ग्राउंड थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 1136 /20 धारा 414/411/34 भादवि थाना कविनगर गा0बाद
मु0अ0सं0 1137/20 धारा3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आसू थाना कविनगर गाजियाबाद
मु0अ0सं0 1138/20 धारा4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अदनान थाना कविनगर गाजियाबाद
मु0अ0सं0 1139/20 धारा4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सदादाम   थाना कविनगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः-

1-01 अदद 315 बोर मय एक कारतूस जिन्दा

2-01 अदद चाकू नाजायज

3- एक अदद चाकू नाजायज

4-200किलो चोरी किया लोहा

थाना कविनगर पुलिस द्वारा ऑप्रेशन निहत्था के तहत सेवानिवृत्त निरीक्षक को अवैघ शस्त्र सहित किया गिरफ्तार श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक थाना कविनगर पुलिस के नेतृत्व में दिनांक 22/08/2020 को 05 अभियुक्तगणो को समय करीब 01.17 बजे केन्द्रीय विद्यालय कमला नेहरु नगर से 200 किलो लोहा चोरी का व एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व दो अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की

अपराध कारित करने का तरीकाः-

दि0 22.08.20 को थाना कविनगर को पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली कि 112 न0 पर विकल्प भाटी निवासी म0नं0 1/102 चिरंजीव बिहार थाना कविनगर गाजियाबाद ने सूचना दी है कि मेरे पिता घर में अपने साथ अवैध हथियार लेकर बैठे हैं।जो कोई भी घटना कर सकते हैं ।इस सूचना पर मोके पर पहुँचे तो घर के अन्दर 01 व्यक्ति डाइनिंग हॉल में अपने हाथ में 01 पिस्टल व हाथ में कुछ कारतूस लिये बैठा है तथा सामने मेज पर 01 फरसा रखा हुआ है ।तेजी से इस व्यक्ति को मय 01 अदद पिस्टल 32 बोर ,10 अदद कार0 जिन्दा 315 बोर व 01 अदद फरसा सहित पकड लिया नाम पता पूछा तो अपना नाम बालकिशन भाटी उपरोक्त तथा अपने को पुलिस से सेवानिवृत्त निरीक्षक बताया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

बाल किशन भाटी पुत्र सोहन लाल भाटी निवासी म0नं0 1/102 चिरंजीव बिहार थाना कविनगर गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 1135 /20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

1-01 अदद पिस्टल 32 बोर

2-10 अदद कार0 जिन्दा 315 बोर

3-1 अदद फरसा

बरामदगी 48 पब्बे अंग्रेजी भाराब IMPACT GRAIN WHISKY हरियाणा मार्का अवैध मय 01 अभियुक्त गिरफ्तार- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.08.2020 को समय 12.10 बजे चैकिंग के दौरान हुंडई कट भाालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद पर अभियुक्त फरमान पुत्र निजाम नि0 इकबाल कालोनी गरिमा गार्डन थाना टीला मोड गाजियबाद का मय 48 पब्बे अंग्रेजी भाराब IMPACT GRAIN WHISKY हरियाणा मार्का अवैध सहित गिरफ्तार किया गया।

अभि0 से पूछताछ का विवरण

कडाई से पूछताछ करने पर पकडे गये अभि0 फरमान उपरोक्त ने बताया कि साहब मेरे पास हरियाणा मार्का भाराब है। जिसके बारे मे अभि0 फरमान से भाराब रखने के लाइसेंस के बारे मे पूछा तो भाराब रखने का लाइसेंस नही है। जिसके संबध मे थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 862/2020 धारा 60/63 आबकारी अधि0 बनाम फरमान उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

फरमान पुत्र निजाम नि0 इकबाल कालोनी गरिमा गार्डन थाना टीला मोड गाजियबादं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण :–

मु0अ0स0 862/2020 धारा 60/63 आबकारी अधि0 बनाम फरमान उपरोक्त

बरामदगी का विवरण–

48 पब्बे अंग्रेजी भाराब IMPACT GRAIN WHISKY हरियाणा मार्का अवैध

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा 2 पेटी (96 पव्वे) हरियाणा मार्का अग्रेजी शराब सहित अभियुक्त संतोष दास को गिरफ्तार किया -: थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 22.08.2020 को समय करीब 12.30 बजे सैक्टर-4 झुग्गी झोपडी वसुन्धरा से अभियुक्त सन्तोष दास पुत्र विश्वनाथ दास हाल निवासी झुग्गी झोपडी सै0-4 वसुन्धरा

उत्तराचंल प्लाजा के समाने इन्दिरापुरम गा0बाद को मय 96 पव्वे अग्रेजी शराब इम्पैट ग्रीन हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तारअभियुक्त –

1. संतोष यादव पुत्र विश्वनाथ दास निवासी मैनीपुर थाना बहेरा जिला दरभंगा बिहार।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त संतोष –

1- मु0अ0स0 –1512/20 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण –

1. 2 पेटी (96 पव्वे) अवैध अग्रेजी शराब हरियाणा मार्का (सम्बन्धित मु0अ0स0-1512/20 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना इन्दिरापुरम गा0बाद।

थाना सिहानीगेट टीम द्वारा साइबर कैफे मे दिनांक 21.08.20 को हुई लूट का खुलासा B.Tec कर रहा लूटेरा गिरफ्तार तथा लूट के 1 लाख 25 हजार 420 रुपये व एक अवैध तमन्चा .315 बोर व एक कारतूस बरामद किया गया- थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा थाना सिहानीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1327/20 धारा 394 भादवि से सम्ब0 01 नफर अभियुक्त सचिन पुत्र चन्द्रभान कोरी नि0 ग्राम घाटमपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर को दि0 22/08/20 को समय 14.30 बजे मुकदमा उपरोक्त से सम्ब0 1लाख 25 हजार 420 रुपये व एक अदद अवैध तमन्चा .315 बोर व 01 कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया ।

***पूछताछ का विवरण* -**

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मै और मेरा दोस्त जिसका नाम पंकज पुत्र संजीव सुनार नि0 बीराखेडी थाना गंगोर जिला सहारनपुर R.D इन्जीनियरिंग कालेज से B.Tec की पढाई कर रहे थे मैने बैक आने की वजह से एक साल पहले पढाई छोड दी थी । दिनाँक 21.08.2020 को मै और मेरे दोस्त ने अपने मंहगे शौक पूरे करने के लिये साइबर कैफे के मालिक को तमन्चा की नोक पर लेकर लूट की घटना को अनजाम दिया ।

***नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त*-**

सचिन पुत्र चन्द्रभान कोरी नि0 ग्राम घाटमपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 1327/20 धारा 394 भादवि थाना सिहानी गेट गा0बाद

बरामदगी का विवरणः-

1. 1 लाख 25 हजार 420 रुपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 1327/20 धारा 394 भादवि

2. एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक कारतूस बरामद